न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), सन्त कबीर नगर।

उपस्थितः कृष्ण कुमार–V, (उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O.Code-UP 6390)

सत्र परीक्षण संख्या–0737/2022

UPSK010031992022

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना–धनघटा, जनपद–सन्त कबीर नगर।

.... अभियोजन

बनाम

1. बादल राय उर्फ छोटू पुत्र श्यामल राय, निवासी ग्राम–पारासीर, थाना–धनघटा, जनपद–सन्त कबीर नगर। .... अभियुक्त

मु0अ0संख्या–0371/2022
धारा–376, 506 भा0द0सं0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012,
थाना–धनघटा, जनपद–संत कबीर नगर।

1. राज्य द्वारा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अभिमन्यु पाल।
2. अभियुक्त द्वारा, विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव।

निर्णय

1. अभियुक्त **बादल राय उर्फ छोटू** पर धारा–376, 506 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोप है कि दिनांक व समय मुताबिक अदम तहरीर, बहद स्थान ग्राम–पाराहर गोविन्द, थाना–धनघटा,जनपद–सन्त कबीर नगर में अभियुक्त ने वादी मुकदमा नेता की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को डरा धमका कर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम/दुष्कर्म करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

2. वर्तमान प्रकरण में अप्राप्तवय बालिका/फरियादिया को अधिनियम की धारा–33(7) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधित प्रावधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतो में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप बालक की पहचान प्रकट न किये जाने के दृष्टिगत निर्णय की अग्रिम चरणों में **''पीड़िता''** लेखबद्ध किया जा रहा है।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा नेता पुत्र दीनानाथ विश्वकर्मा द्वारा महिला रिपोर्टिंग चौकी प्रभारी थाना–धनघटा, सन्त कबीर नगर को इस आशय की तहरीर दी गयी कि–'' प्रार्थी दैनिक मजदूरी करके परिवार का भरण–पोषण करता है। प्रार्थी की एक 14 वर्ष की नाबालिग पुत्री/पीड़िता को गांव के बगल के पारासीर निवासी छोटू पुत्र अज्ञात

ने बहला फुसलाकर व डरा धमकाकर, उसके साथ दुष्कर्म किया तथा वीडियो बनाकर पुनः दुष्कर्म के लिए दबाव बना रहा है जिससे प्रार्थी का पूरा परिवार दहशत में है। प्रार्थना है कि आरोप के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की कृपा करें। '' वादी मुकदमा के उक्त तहरीर के आधार पर थाना–धनघटा में अभियुक्त छोटू के विरूद्ध मु0अ0 संख्या–0371/2022, धारा–376, 506 भा0द0सं0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त बादल राय उर्फ छोटू के विरूद्ध धारा–376, 506 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. दिनांक–11.08.2023 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध **धारा–376, 506 भा0द0सं0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** के तहत आरोप विरचित किये जाने पर अभियुक्त ने अपराध किये जाने से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिये वादी मुकदमा नेता पी0डब्लू0–01, पीड़िता पी0डब्लू0–02, आलोक कुमार पाण्डेय (कार्यवाहक प्रधानाचार्य) पी0डब्लू0–3 व डाक्टर अनुष्का को पी0डब्लू0–4 के रूप में सशपथ परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन प्रपत्र–आरोप–पत्र प्रदर्श क–7, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8, जी0डी0 कायमी प्रदर्श क–9,नक्शा–नजरी प्रदर्श क–10 व नक्शा नजरी प्रदर्श क–11 की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है।

7. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 दिनांक–18.06.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत होने, साक्षी पी0डब्लू0–3 व पी0 डब्लू0–4 द्वारा गलत बयान देने, रंजिशन मुकदमा चलाये जाने, स्वयं को निर्दोष होने एवं सफाई में साक्ष्य नहीं दिये जाने का कथन किया है।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिए तहरीर वादी मुकदमा प्रदर्श क–1, पीड़िता का बयान धारा–164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–3, एस.आर. रजिस्टर की स्व प्रमाणित प्रति प्रदर्श क–3, पीड़िता के जन्मतिथि के बाबत स्कूल का प्रमाण–पत्र प्रदर्श क–4, पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–5, पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–6, आरोप–पत्र प्रदर्श क–7, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8, जी0डी0 कायमी प्रदर्श क–9, नक्शा–नजरी प्रदर्श क–10 व नक्शा नजरी प्रदर्श क–11 प्रस्तुत किया गया है।

<u>मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का विवरणः</u>

9. **पी0डब्लू0–1 नेता** (वादी मुकदमा) ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–'' घटना हुए लगभग एक साल आठ नौ महीना हुआ। मैं मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–

पोषण करता हूँ। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गयी है। मेरी दो लड़की, एक लड़का है। पीड़िता मेरी पहली बेटी है। पीड़िता को मेरे गांव के बगल ग्राम पारासीर का रहने वाला छोटू बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ गलत काम किया था। जानकारी होने पर मैं थाना धनघटा पर गया, एक व्यक्ति से प्रार्थना पत्र लिखवाया, उस व्यक्ति के पढ़कर सुनने के बाद मैनें अपना हस्ताक्षर बनाया था। उसके बाद थाने पर दिया, तब मुकदमा कायम हुआ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। ''

10. **पी0डब्लू0–2 पीड़िता** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' मेरी माता की मृत्यु घटना के पहले हो चुकी है। घटना दिनांक 02.08.2022 रात 10 बजे की है। मेरे पापा उस दिन रात में शराब पीकर घर आये और मुझे मारने पीटने लगे और मुझसे घर से भगने के लिए कहने लगे। मैं डर के मारे घर से निकल कर गॉव से थोड़ी दूर बाग में चली गयी और वहीं रात भर छिपी रही। मैं सुबह करीब 4–5 बजे बाग से अपने घर चली आयी। मैं बादल राय उर्फ छोटू को नहीं जानती हूँ। वह मेरे गॉव का रहने वाला नहीं है। मैं उससे फोन से घटना के दो तीन साल पहले से बात नहीं करती थी और ना ही मैनें छोटू उर्फ बादल राय को घटना के दिन बाग में बुलाया था, ना ही वह मुझे लेकर अपने घर गया था, ना ही छोटू उर्फ बादल ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और ना ही उसने मेरा वीडियो बनाया था और ना ही वीडियो वायरल करने की धमकी दिया था। मैं बगीचे से सीधे अपने घर आयी थी। बगीचे में मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई थी। मैं रात भर अकेले बगीचे में अपनी मॉ के लिए रोती रही थी। मेरे पिता शंका के आधार पर गॉव के लोगों के कहने पर थाने पर मुल्जिम बादल राय उर्फ छोटू के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिये थे, फिर डर के मारे मैं अपने भाई को लेकर उसी दिन पिपरोली अपने ननिहाल चली गयी जो थाना गीडा, गोरखपुर में है। मेरे पिताजी पुलिस को लेकर गये, तब मैं पुलिस के साथ थाने आयी। महिला सिपाही ने मेरा बयान लिया था। मैं अपने पिता के डर के मारे बयान दिया था। मेरा मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुआ था। वह बयान भी मैंने अपने पिता के डर व पुलिस के दबाव में दिया था। बयान 164 द0प्र0सं0 पीड़िता को पढ़कर हसुनाया। साक्षी ने कहा कि जी यही बयान मैनें मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया था। यह बयान मैनें अपने पिता के डर के कारण व महिला पुलिस के दबाव में दिया था। बयान 164 द0प्र0सं0 शामिल पत्रावली कागज सं0–9क पर A बिन्दु पर बना हस्ताक्षर मेरा है,जिसकी मैं पुष्टि करती हूॅ, इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। ''

11. **पी0डब्लू0–3 आलोक कुमार पाण्डेय** (कार्यवाहक प्रधानाचार्य) ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–'' मैं आज न्यायालय में एस.आर. रजिस्टर प्रथम लेकर आया हूँ। एस.आर. रजिस्टर के क्रमांक 712 पर छात्रा पीड़िता पुत्री श्री नेता माता स्वर्गीय उर्मिला साकिन पाराहरपुर गोविन्द थाना धनघटा, संतकबीरनगर की जन्मतिथि दिनांक–15.09.2007 दर्ज है। छात्रा ने मेरे विद्यालय में दिनांक–13.09.2013 को कक्षा एक में प्रवेश लिया था, जो मेरे विद्यालय से दिनांक 28.03.2018 को कक्षा–5 उत्तीर्ण की है। एस.आर. रजिस्टर की छाया प्रति मूल से मिलान कर स्व प्रमाणित कर न्यायालय में प्रस्तुत करता हूँ जिसके A बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है,जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ, इस पर प्रदर्श क–3 डाला जाता है।छात्रा की जन्मतिथि के बाबत प्रमाण पत्र मेरे पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा विवेचक पुलिस को दिया गया था, जो कि शामिल पत्रावली कागज संख्या–4क/19 है जिसके B बिन्दु पर बना हस्ताक्षर पूर्व

प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार पाण्डेय का है। मैं उनके हस्ताक्षर को भली–भॉति जानता, पहचानता हूॅ। मैं उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूॅ, इस पर प्रदर्श क–4 डाला जाता है। ''

12. **पी0डब्लू0–4 डा0 अनुष्का** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.08.2022 को मेरी तैनाती आकस्मिक चिकित्साधिकारी संयुक्त जिला चिकित्सालय, संतकबीरनगर पर थी। पीड़िता के मेडिकल परीक्षण हेतु उसी दिन 03:50 पी.एम. पर महिला आरक्षी आशा देवी द्वारा लाया गया था। पीड़िता के पिता द्वारा अनुमति दिया गया कि मैं अपने पुत्री का आंतरिक व बाह्य परीक्षण एवं DNA जॉच नहीं कराना चाहता हूॅ।
<u>पहचान चिन्ह</u>–गाल के बायें तरफ काले तिल का निशान, पीड़िता की लम्बाई 139 सेमी., वजन 42 किग्रा., दॉत 14/14. पीड़िता मेडिकल परीक्षण हेतु जब मेरे समक्ष आयी तो वह अपने पूरे होश–हवाश में थी। कोई नये या ताजे चोट के या खून के निशान मौजूद नहीं थे। पीड़िता के उम्र निर्धारण के लिए एक्स–रे हेतु रेडियोलाजिस्ट के पास भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है जो शामिल पत्रावली कागज सं0–4क/21 है जिसके A बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करती हूॅ, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया है। पूरक परीक्षण रिपोर्ट–सी0एम0ओ0 रिपोर्ट व रेडियोलाजिस्ट रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र लगभग 14 वर्ष आंकी गयी थी। पूरक परीक्षण रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है जो शामिल पत्रावली कागज सं0–4क/31 है जिसके B बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करती हूॅ जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया है। ''

<u>विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस:</u>

13. अभियोजन की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को डरा धमका कर,पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियोजन का मामला युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित होता है।

14. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया गया कि अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। साक्षीगण ने गलत बयान दिया है। साक्षीगण के बयान में विरोधाभाष है। साक्षीगण के बयान से अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोप साबित नहीं होता है। अभियुक्त के विरूद्ध रंजिशन मुकदमा लिखाया गया है। अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

15. अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये जिनका अभिलेख पर उपस्थित साक्षीगण के साक्ष्य का सूक्ष्मता व गहनता से परिशीलन किया गया।

16. विधि का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि जब तक कि किसी अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सन्देह से परे कानून के अनुसार साबित न हो जाए, वह निर्दोष माना जाता है और

इस सिद्धान्त के विरूद्ध अभी भी आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन नहीं हुआ है तथा विधि का यह भी सिद्धान्त है कि कोई निर्दोष को सजा न हो, लेकिन कोई दोषी छूटे ना। **स्टेट आफ उ0प्र0 बनाम रामबीर सिंह 2007** (6) S.C.C. 164 तथा A.I.R. 2003 S.C. 2978 **स्टेट आफ उ0प्र0 बनाम रामसेवक** के इन्हीं सुनहरे सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए यह देखना होगा कि परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य से क्या अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित किया है या नहीं ?

17. प्रश्नगत मामला एक ऐसा अपराध है,जिसके बारे में विधायिका द्वारा विशेष विधायन बनाया गया है। सामान्य दण्ड विधिशास्त्र के अनुसार अभियोजन पक्ष को अपना मामला सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी भी दुर्बलता का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता तथा विचारण प्रारम्भ होने के साथ अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है, जबकि पाक्सो अधिनियम, 2012 सामान्य दण्डशास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है और पाक्सों अधिनियम की धारा–29 अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा करती है तथा धारा–30 पाक्सों अधिनियम अपराध की मनः स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करती है।

18. पाक्सो अधिनियम की धारा–29 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा–जहॉ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा–3, धारा–5, धारा–7 और धारा–9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है। वहॉ विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है,दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है।

19. **<u>पाक्सों अधिनियम की धारा–30 आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणाः–</u>**

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्ति–युक्त सन्देह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता सम्भाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

धारा–29 से ही स्पष्ट है कि इसके अधीन उपधारणा अधिनियम 2012 की धारा 3, 5, 7 तथा 9 में परिभाषित अपराध,उनके दुष्प्रेरण और प्रयत्न के बारे में लागू होती है। शेष अपराधों के बारे में धारा–29 लागू नहीं होती है।

धारा–3 और धारा–5 में परिभाषित 'प्रवेशन लैंगिक हमला' और 'गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला' के अपराधों में अधिनियम 2012 की धारा–30 की उपधारणा लागू नहीं होगी क्योंकि अधिनियम की धारा–30 'आपराधिक मानसिक दशा' की उपस्थिति का प्रावधान करती

है और धारा–30 के स्पष्टीकरण में आपराधिक मानसिक दशा के अन्तर्गत आशय, हेतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण होने का प्रावधान है, जबकि धारा–3 और 5 में परिभाषित 'प्रवेशन लैंगिक हमला' और 'गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला' के लिए किसी भी प्रकार की आपराधिक मानसिक दशा अर्थात आशय या ज्ञान या हेतुक या विश्वास करने के कारण होना आवश्यक नहीं है।

धारा–29 की उपधारणा लागू होने के लिए अभियोजन को प्राथमिक तथ्य स्थापित करने होते हैं,तभी धारा–29 लागू होती है। धारा–30 केवल आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करती है और इसके लिए भी प्राथमिक तथ्य अभियोजन को स्थापित करने होते हैं।

20. इस प्रकार न्यायालय पाक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने,अभियुक्त की मनःस्थिति की उपधारणा करने हेतु बाध्य है।अधिनियम के प्रावधान आज्ञापक है, किन्तु उसकी उपधारणा खण्डनीय है। अभियुक्त अपने स्वयं के साक्ष्य एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य से इस उपधारणा का खण्डन कर सकता है।

21. **नवीन डी0 बारिये बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018, CRLJ 3393** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अधिनियम 2012 की धारा–29 में उपबन्धित उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध निरपेक्ष नहीं है,बल्कि खण्डनीय है। यह उपधारणा तब लागू होती है,जब अभियोजन प्रथमतः प्राथमिक तथ्य स्थापित करने में समर्थ हो जाता है।

22. **मिस–ईरा द्वारा डा0 मंजूलता बनाम स्टेट, एन0सी0टी0 दिल्ली, ए0आई0आर0 2017 एस0सी0 3457,** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम 2012 की धारा–2(1)(डी) में परिभाषित बालक से तात्पर्य उसकी भौतिक आयु से है, न कि मानसिक आयु से है। 18 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति बालक की परिभाषा में आता है। आयु के निष्कर्ष के बाद आयु को अपराध के प्रमाणित करने के लिए दी गयी साक्ष्य पर विचार करना चाहिये।

न्यायालय के लिए आवश्यक है कि इन उपधारणाओं को लेते समय पहले अभियोजन के साक्ष्य पर विचार करें और यह देखें कि क्या अभियोजन ने प्राथमिक तथ्य स्थापित कर दिये हैं, उसके बाद निर्णय में उपधारणा का उल्लेख करते हुए उसे लेने के बारे में उल्लेख करें।

23. **धारा–354(1)(ख) द0प्र0सं0, 1973 अब वर्तमान में धारा–393(1)(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** के प्रावधानों के अनुसार उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर प्रकरण में साक्ष्य के बेहतर विश्लेषण निम्नलिखित निश्चायक बिन्दु अवधारित किये जाते है–

i. क्या घटना दिनॉक–02.08.2022 को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की होकर अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत **"बालक"** की श्रेणी में आती है ?

ii. क्या दिनांक–02.08.2022 की रात्रि में अभियुक्त बादल राय उर्फ छोटू ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ जबरदस्ती गलत काम/दुष्कर्म किया ?

iii. क्या दिनांक–02.08.2022 को अभियुक्त बादल राय उर्फ छोटू ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री के साथ दुष्कर्म/बलात्कार करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?

iv. क्या अभियुक्त बादल राय उर्फ छोटू ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को शरीर या ख्याति क्षति करने की साशय धमकी दिया और उसे संत्रास कारित किया ?

<u>निष्कर्ष व उसके आधारः–</u>

24. <u>अवधारणीय प्रश्न कमांक–1 की विवेचना एवं निष्कर्षः–</u>

i. क्या घटना दिनॉक–02.08.2022 को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की होकर अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत ''बालक'' की श्रेणी में आती है ?

बचाव पक्ष की ओर से कथन किया गया कि घटना के समय पीड़िता बालिग थी।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्र व साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया। लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी ने अपनी पुत्री/पीड़िता की उम्र 14 वर्ष बताया है। पीड़िता ने मुख्य परीक्षा बयान में अपनी उम्र 18 वर्ष बताया है। पी0डब्लू0–3 कार्यवाहक प्रधानाचार्य के अनुसार विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर में पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक–15.09.2007 दर्ज है। पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–6 में पीड़िता की उम्र लगभग 14 वर्ष ऑकी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध स्कूल के प्रमाण–पत्र प्रदर्श क–4 के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 15.09.2007 है। पीड़िता ने धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान में अपनी उम्र 14 वर्ष बताया है।

25. नये किशोर न्याय अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम) 2015 की धारा–94 के अनुसार पीड़िता की उम्र का निर्धारण किया जायेगा। पीड़िता की आयु के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विधि **Jarnail Singh V. State of Haryana 2013 Cri.L.J. 3976 S.(B) Penal Code (45 of 1860), S.376–Juvenile Justic (Care and Protection of Children) Rules (56 of 2000), R–12–Juvenile Justic (Care and Protection of Children) Act (56 of 2000),S.68–RAPE–JUVENILE OFFENDER–Rape–Age of prosecutrix–Determination–Manner provided under R. 12 of 2007 Rules ought to be followed– There is no difference as regards minority between child in conflict of law and child who is victim of crime.** अभिनिर्धारित की गई है।

26. प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता के उम्र के बाबत पत्रावली पर उपलब्ध SR रजिस्टर प्रदर्श क–3 में पीड़िता की जन्मतिथि 15.09.2007 दर्ज है। पत्रावली पर संलग्न विद्यालय के जन्मतिथि प्रमाण–पत्र प्रदर्श क–4 में पीड़िता की जन्मतिथि 15.09.2004 अंकित है। इस तरह घटना दिनॉक–02.08.2022 को अभियोक्त्री की आयु **14 वर्ष 10 माह 18 दिन** होती है, जिसे अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त सन्देह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि पाक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होकर वह

''बालक'' की श्रेणी में आती है। तद्नुसार **अवधारणीय प्रश्न क्रमांक–1** का निराकरण किया जाता है।

27. <u>अवधारणीय प्रश्न क्रमांक–ii, iii व iv की विवेचना एवं निष्कर्षः–</u>

ii. क्या दिनांक–02.08.2022 की रात्रि में अभियुक्त बादल राय उर्फ छोटू ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ जबरदस्ती गलत काम/दुष्कर्म किया ?

iii. क्या दिनांक–02.08.2022 को अभियुक्त बादल राय उर्फ छोटू ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री के साथ दुष्कर्म/बलात्कार करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?

iv. क्या अभियुक्त बादल राय उर्फ छोटू ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को शरीर या ख्याति क्षति करने की साशय धमकी दिया और उसे संत्रास कारित किया ?

उपरोक्त सभी प्रश्न एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण एक साथ विवेचित किया जा रहा है जिससे साक्ष्यों के पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

28. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया गया कि अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। साक्षीगण ने गलत बयान दिया है। साक्षीगण के बयान में विरोधाभाष है। साक्षीगण के बयान से अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोप साबित नहीं होता है। अभियुक्त के विरूद्ध रंजिशन मुकदमा लिखाया गया है। अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

29. अभियुक्त **बादल राय उर्फ छोटू** के विरूद्ध धारा–376, 506 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोप लगाया गया है। अतः **धारा–376, 506 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** के प्रावधान/परिभाषा का उल्लेख करना, न्यायसंगत होगा।

बलात्संग के मामले में सम्मति के संदर्भ में भा0द0सं0 की **धारा–375** में ही स्पष्ट प्रावधान दिया गया है, जो निम्नांकित है–

धारा–375 बलात्संग–जो पुरूष एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छह भॉति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है, वह पुरूष ''बलात्संग'' करता है, यह कहा जाता हैः–

पहला–उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।

दूसरा–उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा–उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को,जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है।

चौथा–उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरूष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है, कि वह ऐसा पुरूष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पॉचवां–उस स्त्री की सम्मति से,जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्ता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिये जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठॉ–उस स्त्री के सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह अठ्ठारह वर्ष से कम आयु की है।

<u>धारा–3. प्रवेशन लैंगिक हमला</u>–कोई व्यक्ति ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' करता है,यह कहा जाता है, यदि वह–

(क) अपना लिंग,किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

<u>धारा–4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड</u>–(1) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि (दस वर्ष) से, कम की नही होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जायेगा।

धारा–506. आपराधिक अभित्रास के दण्ड के लिए, धारा–503 भा0द0सं0 में परिभाषा दी गयी है–

धारा–503. आपराधिक अभित्रास–जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाये, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधर स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाये, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।

उपरोक्त आरोपों के सन्दर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों व साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया गया।

30. पी0डब्लू0–1 नेता (वादी मुकदमा) ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–'' घटना हुए लगभग एक साल आठ नौ महीना हुआ। मैं मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करता हूॅ। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गयी है। मेरी दो लड़की, एक लड़का है। पीड़िता मेरी पहली बेटी है। पीड़िता को मेरे गांव के बगल ग्राम पारासीर का रहने वाला छोटू बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ गलत काम किया था। जानकारी होने पर मैं थाना धनघटा पर गया, एक व्यक्ति से प्रार्थना पत्र लिखवाया, उस व्यक्ति के पढ़कर सुनने के बाद मैनें अपना हस्ताक्षर बनाया था। उसके बाद थाने पर दिया, तब मुकदमा कायम हुआ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। ''

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि–'' घटना के दिन मैं शराब पी थी। शराब के नशे में अपनी लड़की पीड़िता को डॉटा था। रात में किरन कहीं चली गयी। कौन ले गया था, वह कहॉ गयी थी, मुझे जानकारी नहीं है। अभियुक्त छोटू द्वारा लड़की को भगाकर ले जाते हुए मैनें नहीं देखा था। मेरी लड़की सुबह घर आ गयी गयी थी। मेरी लड़की ने घटना के बारे में मुझसे कुछ बताया नहीं था बल्कि गांव वालों के बताने के आधार पर मैनें मुकदमा लिखवा दिया था। यह बात सही है कि मैनें अपनी ऑख से कोई घटना नहीं देखी थी। ''

पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी ने अपनी पुत्री/पीड़िता को अभियुक्त द्वारा ले जाते हुए स्वयं नहीं देखा है, बल्कि गॉव के लोगों द्वारा बताने के आधार पर मुकदमा लिखवा दिया है। वादी मुकदमा ने अपने जिरह/बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि–**'' घटना के दिन मैं शराब पी थी। शराब के नशे में अपनी लड़की पीड़िता को डॉटा था। रात में किरन कहीं चली गयी। कौन ले गया था, वह कहॉ गयी थी, मुझे जानकारी नहीं है। अभियुक्त छोटू द्वारा लड़की को भगाकर ले जाते हुए मैनें नहीं देखा था। मेरी लड़की ने घटना के बारे में मुझसे कुछ बताया नहीं था बल्कि गांव वालों के बताने के आधार पर मैनें मुकदमा लिखवा दिया था। यह बात सही है कि मैनें अपनी ऑख से कोई घटना नहीं देखी थी। ''** वादी ने मुख्य परीक्षा में घटना एवं अभियोजन कथानक का समर्थन किया है परन्तु उसी समय प्रति परीक्षा में अपने मुख्य परीक्षा में कहे गये कथन के विपरीत कथन करते हुए आत्म विरोधाभाषी बयान दिया है। वादी मुकदमा ने घटना स्वयं नहीं देखा है, बल्कि गॉव के लोगों के बताने के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वादी मुकदमा का साक्ष्य अनुश्रुत श्रेणी का साक्ष्य है। इस तरह

वादी मुकदमा के आत्म विरोधाभाषी एवं अविश्वसनीय बयान के आधार पर अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

31. **पी0डब्लू0–2 पीड़िता** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' मेरी माता की मृत्यु घटना के पहले हो चुकी है। घटना दिनांक 02.08.2022 रात 10 बजे की है। मेरे पापा उस दिन रात में शराब पीकर घर आये और मुझे मारने–पीटने लगे और मुझसे घर से भगने के लिए कहने लगे। मैं डर के मारे घर से निकल कर गॉव से थोड़ी दूर बाग में चली गयी और वहीं रात भर छिपी रही। मैं सुबह करीब 4–5 बजे बाग से अपने घर चली आयी। मैं बादल राय उर्फ छोटू को नहीं जानती हूँ। वह मेरे गॉव का रहने वाला नहीं है। मैं उससे फोन से घटना के दो तीन साल पहले से बात नहीं करती थी और ना ही मैनें छोटू उर्फ बादल राय को घटना के दिन बाग में बुलाया था, ना ही वह मुझे लेकर अपने घर गया था, ना ही छोटू उर्फ बादल ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और ना ही उसने मेरा वीडियो बनाया था और ना ही वीडियो वायरल करने की धमकी दिया था। मैं बगीचे से सीधे अपने घर आयी थी। बगीचे में मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई थी। मैं रात भर अकेले बगीचे में अपनी मॉ के लिए रोती रही थी। मेरे पिता शंका के आधार पर गॉव के लोगों के कहने पर थाने पर मुल्जिम बादल राय उर्फ छोटू के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिये थे, फिर डर के मारे मैं अपने भाई को लेकर उसी दिन पिपरोली अपने ननिहाल चली गयी जो थाना गीडा, गोरखपुर में है। मेरे पिताजी पुलिस को लेकर गये, तब मैं पुलिस के साथ थाने आयी। महिला सिपाही ने मेरा बयान लिया था। मैं अपने पिता के डर के मारे बयान दिया था। मेरा मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुआ था। वह बयान भी मैंने अपने पिता के डर व पुलिस के दबाव में दिया था। बयान 164 द0प्र0सं0 पीड़िता को पढ़कर सुनाया। साक्षी ने कहा कि जी यही बयान मैनें मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया था। यह बयान मैनें अपने पिता के डर के कारण व महिला पुलिस के दबाव में दिया था। बयान 164 द0प्र0सं0 शामिल पत्रावली कागज सं0–9क पर A बिन्दु पर बना हस्ताक्षर मेरा है,जिसकी मैं पुष्टि करती हूँ, इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–2 पीड़िता ने कथन किया है कि–'' मैं बादल उर्फ छोटू राय को नहीं जानती हूँ और ना ही मैं उनसे फोन से बात करती थी और ना ही प्यार करती थी। बादल उर्फ छोटू ने मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं किया था और ना ही मैं उसके साथ उसके घर गयी थी। आज यह बयान अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव में,सही दे रही हूँ। ''

पीड़िता ने धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान में कथन किया है कि–**'' मैं छोटू को पिछले तीन माह से जानती हूँ और उससे फोन पर बात करती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। छोटू मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हैं। मैं भी छोटू से शादी करने को तैयार नहीं हूँ। पिछले महीने की घटना है। मेरे पापा शराब पीकर घर आये और मुझे घर से भागने के लिए कहने लगे। मैं अपने घर से निकलकर बगीचे में आ गयी और छोटू को फोन करके घटना के बारे में बताया। छोटू थोड़ी देर में बगीचे में आ गया और मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। मैं रात में करीब 10 बजे उसके घर गयी। उसके घर पर उसके दादा और दादी थे। उस रात उसने जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक**

सम्बन्ध बनाया। सुबह 4 बजे मैं अपने घर आयी। उसने मुझे धमकी दिया कि मैनें तुम्हारा वीडियो बना लिया है और मैं इसे वायरल कर दूॅगा। ''

प्रकरण के सर्वोत्तम, महत्वपूर्ण चश्मदीद साक्षी पीड़िता पी0डब्लू0–2 के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षा में ही घटना एवं अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। पीड़िता ने मुख्य परीक्षा बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि–'' **मेरे पापा उस दिन रात में शराब पीकर घर आये और मुझे मारने–पीटने लगे और मुझसे घर से भगने के लिए कहने लगे। मैं डर के मारे घर से निकल कर गॉव से थोड़ी दूर बाग में चली गयी और वहीं रात भर छिपी रही। मैं सुबह करीब 4–5 बजे बाग से अपने घर चली आयी। मैं बादल राय उर्फ छोटू को नहीं जानती हूॅ। वह मेरे गॉव का रहने वाला नहीं है। मैं उससे फोन से घटना के दो तीन साल पहले से बात नहीं करती थी और ना ही मैनें छोटू उर्फ बादल राय को घटना के दिन बाग में बुलाया था, ना ही वह मुझे लेकर अपने घर गया था, ना ही छोटू उर्फ बादल ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और ना ही उसने मेरा वीडियो बनाया था और ना ही वीडियो वायरल करने की धमकी दिया था। मेरे पिता शंका के आधार पर गॉव के लोगों के कहने पर थाने पर मुल्जिम बादल राय उर्फ छोटू के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिये थे, फिर डर के मारे मैं अपने भाई को लेकर उसी दिन पिपरोली अपने ननिहाल चली गयी जो थाना गीडा, गोरखपुर में है। मेरे पिताजी पुलिस को लेकर गये, तब मैं पुलिस के साथ थाने आयी। ''** पीड़िता ने आगे यह भी कथन किया है कि–'' **मेरा मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुआ था। यह बयान मैनें अपने पिता के डर के कारण व महिला पुलिस के दबाव में दिया था। ''** पीड़िता के उक्त बयान से यह स्पष्ट है कि पीड़िता के पापा/वादी मुकदमा द्वारा शराब पीकर उसे मारने–पीटने और घर से भागने के लिए कहने पर वह गॉव से थोड़ी दूर बाग में जाकर रात भर छिपी रही तथा पीड़िता के कथनानुसार छोटू उर्फ बादल ने उसके साथ न तो बलात्कार किया और ना ही उसका वीडियो बनाया था। उसके पिता ने शंका के आधार पर गॉव के लोगों के कहने पर थाने पर मुल्जिम बादल राय उर्फ छोटू के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिये।

पीड़िता ने प्रतिपरीक्षा में भी स्पष्ट कथन किया है कि–'' **बादल उर्फ छोटू ने मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं किया था और ना ही मैं उसके साथ उसके घर गयी थी। आज यह बयान अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव में,सही दे रही हूॅ। ''** पीड़िता ने अपने प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार या प्रवेशन लैंगिक हमला के अपराध किये जाने से इन्कार किया।

यद्यपि पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 द0प्र0सं0 में अभियुक्त द्वारा उसके साथ उपरोक्त आपराधिक कृत्य किया जाना बताते हुए घटना का समर्थन किया, तथापि पीड़िता ने ही विद्वान मजिस्ट्रेट साहब के सामने धारा–164 द0प्र0सं0 का बयान अपने पिता के डर के कारण व महिला पुलिस के दबाव में दिया जाना, बताया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता ने धारा–164 द0प्र0सं0 का बयान स्वेच्छया से नहीं, बल्कि अपने पिता के डर के कारण दबाव में दिया है। यह स्वीकृत विधि है कि धारा–164 द0प्र0सं0 का बयान सम्पोषक साक्ष्य है। पीड़िता ने मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है। धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान, जो स्वेच्छया से नहीं दिया गया है, के आधार पर

घटना एवं अभियोजन कथानक साबित नहीं माना जा सकता। **Sajid vrs State of UP 2020 (110) ACC 67** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–**So far as the statement recorded u/s 164 cr.p.c is concerned, the law is well settled that the statement of a witness recorded u/s 164 cr.p.c. can not be used as substantive evidence and can be used only for the purpose of contradiction and corboration.**

प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी पीड़िता पी0डब्लू0–2 के बयानों में घोर विरोधाभाष है। उसके द्वारा किये गये कथन आत्म विरोधाभाषी तथा अविश्वसनीय पाये जाते हैं। इस तरह पीड़िता पी0डब्लू0–2 के आत्म विरोधाभाषी एवं अविश्वसनीय बयान के आधार पर अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

32. पी0डब्लू0–3 आलोक कुमार पाण्डेय (कार्यवाहक प्रधानाचार्य) ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–'' मैं आज न्यायालय में SR रजिस्टर प्रथम लेकर आया हूॅ। SR रजिस्टर के क्रमांक 712 पर छात्रा पीड़िता पुत्री श्री नेता माता स्वर्गीय उर्मिला साकिन पाराहरपुर गोविन्द थाना धनघटा, संत कबीर नगर की जन्मतिथि दिनांक–15.09.2007 दर्ज है। छात्रा ने मेरे विद्यालय में दिनांक–13.09.2013 को कक्षा एक में प्रवेश लिया था, जो मेरे विद्यालय से दिनांक–28.03.2018 को कक्षा–5 उत्तीर्ण की है। SR रजिस्टर की छाया प्रति मूल से मिलान कर स्व प्रमाणित कर न्यायालय में प्रस्तुत करता हूॅ जिसके A बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है,जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ, इस पर प्रदर्श क–3 डाला जाता है।छात्रा की जन्मतिथि के बाबत प्रमाण पत्र मेरे पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा विवेचक पुलिस को दिया गया था, जो कि शामिल पत्रावली कागज संख्या–4क/19 है जिसके B बिन्दु पर बना हस्ताक्षर पूर्व प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार पाण्डेय का है। मैं उनके हस्ताक्षर को भली–भॉति जानता, पहचानता हूॅ। मैं उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूॅ, इस पर प्रदर्श क–4 डाला जाता है। ''

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि–'' छात्रा पीड़िता का प्रवेश विद्यालय में कक्षा एक में हुआ था। यह प्रवेश दिनांक–13.09.2013 को हुआ था और कक्षा–5 हमारे विद्यालय से दिनांक–28.03.2018 को उत्तीर्ण किया है। छात्रा का प्रवेश कराने कौन आया था, क्योंकि मैं उस समय स्कूल में कार्यरत नहीं था, इसलिए नहीं बता सकता। छात्र/छात्राओं का प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होते हैं और यदि कोई जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड नहीं होता है तो उसके अभिभावक से लिखवाकर ले लिया जाता है, लेकिन इस एस.आर. रजिस्टर में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। ''

पी0डब्लू0–3 के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षी ने जिरह/बयान में कथन किया है कि–'' छात्रा पीड़िता का प्रवेश विद्यालय में कक्षा एक में हुआ था। यह प्रवेश दिनांक–13.09.2013 को हुआ था और कक्षा–5 हमारे विद्यालय से दिनांक–28.03.2018 को उत्तीर्ण किया है। छात्रा का प्रवेश कराने कौन आया था, क्योंकि मैं उस समय स्कूल में कार्यरत नहीं था, इसलिए नहीं बता सकता। छात्र/छात्राओं का प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होते हैं और यदि कोई जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड नहीं होता है तो उसके अभिभावक से लिखवाकर ले लिया जाता है, लेकिन इस SR रजिस्टर में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। '' उक्त साक्षी

औपचारिक साक्षी है। इसने पीड़िता के जन्मतिथि के संबंध में SR रजिस्टर प्रदर्श क–3 को न्यायालय के समक्ष तस्दीक किया है।

33. पी0डब्लू0–4 डा0 अनुष्का ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–''दिनांक 06.08.2022 को मेरी तैनाती आकस्मिक चिकित्साधिकारी संयुक्त जिला चिकित्सालय, संत कबीर नगर पर थी। पीड़िता के मेडिकल परीक्षण हेतु उसी दिन 03:50 पी.एम. पर महिला आरक्षी आशा देवी द्वारा लाया गया था। पीड़िता के पिता द्वारा अनुमति दिया गया कि मैं अपने पुत्री का आंतरिक व बाह्य परीक्षण एवं DNA जॉच नहीं कराना चाहता हूॅ। पहचान चिन्ह–गाल के बायें तरफ काले तिल का निशान, पीड़िता की लम्बाई 139 सेमी., वजन 42 किग्रा., दॉत 14/14. पीड़िता मेडिकल परीक्षण हेतु जब मेरे समक्ष आयी तो वह अपने पूरे होश–हवाश में थी। कोई नये या ताजे चोट के या खून के निशान मौजूद नहीं थे। पीड़िता के उम्र निर्धारण के लिए एक्स–रे हेतु रेडियोलाजिस्ट के पास भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है जो शामिल पत्रावली कागज सं0–4क/21 है जिसके A बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करती हूॅ, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया है। पूरक परीक्षण रिपोर्ट–सी0एम0ओ0 रिपोर्ट व रेडियोलाजिस्ट रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र लगभग 14 वर्ष आंकी गयी थी। पूरक परीक्षण रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है जो शामिल पत्रावली कागज सं0–4क/31 है जिसके B बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करती हूॅ जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया है। ''

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि–'' जब पीड़िता आयी थी तो उसके शरीर पर कोई कट या ब्लीडिंग के निशान नहीं थे। मैनें पीड़िता की आयु का निर्धारण रेडियोलोजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आंकी थी। आयु दो साल ज्यादा भी हो सकती है और दो साल कम भी हो सकती है। ''

उक्त चिकित्सक साक्षी द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया गया। उक्त चिकित्सक साक्षी ने मेडिकल परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर कोई नये या ताजे चोट के या खून के निशान मौजूद नहीं पाया है। इस साक्षी ने पीड़िता की आयु का निर्धारण रेडियोलाजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ऑकी थी। उक्त साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि–'' पीड़िता की आयु दो साल ज्यादा भी हो सकती है और दो साल कम भी हो सकती है। 14 साल दो साल जदा भी हो सकती है और दो साल कम भी हो सकती है।'' उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है, जिसने घटना होते हुए स्वयं नहीं देखा है। उक्त साक्षी ने पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या को प्रदर्श क–5 व पूरक परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श क–6 के रूप में न्यायालय के समक्ष तस्दीक किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय आख्या एवं चिकित्सक के बयान से स्पष्ट है कि पीड़िता के शरीर पर कोई नये या ताजे चोट के या खून के निशान मौजूद नहीं पाया है। सम्भोग का कोई पाजीटिव साक्ष्य नहीं पाया गया, न ही कोई राय दी गयी। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बलात्कार जैसी घटना के वास्तविकता हेतु **DNA Report** भी अभियोजन पक्ष की ओर से ना तो पेश किया गया है, ना ही साबित कराया गया।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त बादल राय निर्दोष है। उसके द्वारा पीड़िता के साथ कोई जबरदस्ती गलत काम या दुष्कर्म नहीं किया गया, न ही जान से मारने की धमकी दी गयी।

34. इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों व साक्षीगण के बयानों से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 जो पीड़िता का पिता है, ने मुख्य परीक्षा बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है परन्तु उसी समय प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक व घटना का लेश मात्र समर्थन नहीं किया। प्रकरण के सर्वोत्तम, महत्वपूर्ण, भुक्तभोगी साक्षी पीड़िता पी0डब्लू0–2 ने अपने मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का लेशमात्र समर्थन नहीं किया है। तथ्य के उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त पी0डब्लू0–3 प्रधानाचार्य आलोक कुमार पाण्डेय व पी0 डब्लू0–4 डा0 अनुष्का औपचारिक साक्षी है। उनके द्वारा घटना देखा जाना नहीं बताया गया है।

जहॉ तक धारा–**506 भा0द0सं0** के अभियोग का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर प्रदर्श क–1 एवं साक्षीगण के बयान का अवलोकन किया गया। तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी ने लड़की को डराना–धमकाना बताया है, परन्तु धमकी देते समय अभियुक्त ने क्या शब्द कहे, इसका कोई उल्लेख तहरीर प्रदर्श क–1 में नहीं है। पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा धमकी दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया। प्रकरण की महत्वपूर्ण, चश्मदीद साक्षी पीड़िता पी0डब्लू0–2 ने भी अपने मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा धमकी दिये जाने का कोई कथन नहीं किया। इस तरह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध धारा–506 भा0द0सं0 का अभियोग साबित नहीं पाया जाता है।

35. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि–व्यवस्था **लल्ला बनाम राज्य उत्तर प्रदेश, 2024**(1) JIC 425 (ALL)(LB), Allahabad High Court (Lucknow Bench) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–" **PenalCode 1860, Section 363, 366 and 376–Rape–FIR. Lodged after two days of missing of prosecutrix–After 13 days prosecutrix and appellant apprehended–No mark of injury on body or privetw part found–Medical report showing that she was habitual in intercourse–In thirteen days she had ample opportunity to raise hue and cry but she did not–Two independent witnesses who saw lastly said that girl was walking ahead and appellant was following her–Age as per medical evidence appears to be more than 16 years–From evidence it appears that she was consenting party and she her own self went with appellant–Hence, conviction set aside–Appeal allowed.**

उपरोक्त निर्णयज विधि में पारित विधिक सिद्धान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थिति से मेल खाते हैं।

36. उपरोक्त मामले के तथ्य, परिस्थितियों तथा साक्षीगण के बयानों एवं निर्णयज विधि के सम्यक् विश्लेषण से न्यायालय का यह अभिमत है कि वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 जिसने घटना स्वयं नहीं देखा है। अपने बयान में शंका के आधार पर तथा गॉव के लोगों के बताने के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध उसने मुकदमा लिखवा दिया है, परन्तु न्यायालय में सशपथ बयान के दौरान अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया परन्तु जिरह में मुख्य परीक्षा में कहे गये कथन के विपरीत कथन करते हुए आत्म विरोधाभाषी एवं

अविश्वसनीय बयान दिया है। वादी मुकदमा के बयान से अभियोजन कथानक साबित नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण की महत्वपूर्ण भुक्तभोगी साक्षी पीड़िता पी0डब्लू0–2 ने मुख्य परीक्षा में ही घटना का समर्थन नहीं किया है और वह पक्षद्रोही हो गयी है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा साक्षीगण के बयानों के विश्लेषण से न्यायालय का यह अभिमत है कि **अवधारणीय प्रश्न कमांक संख्या–ii, iii** व **iv** के संदर्भ में घटना एवं अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नहीं पाया जाता है। तद्नुसार **अवधारणीय प्रश्न कमांक संख्या–ii, iii** व **iv** का निराकरण किया जाता है।

37. इस तरह पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों व तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त सन्देह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक–02.08.2022 की रात्रि 10:00 बजे बहद स्थान ग्राम–पाराहर गोविन्द, थाना–धनघटा, जनपद–सन्त कबीर नगर में अभियुक्त ने वादी मुकदमा नेता की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को डरा–धमका कर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम/दुष्कर्म करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

38. अतः अभियुक्त बादल राय उर्फ छोटू को धारा–376, 506 भा0द0वि0 एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दण्डनीय अपराध से सन्देह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

39. विशेष सत्र वाद संख्या–**0737/2022,** मुकदमा अपराध संख्या–**0371/2022,** थाना–धनघटा, जनपद–सन्त कबीर नगर के मामले में अभियुक्त **बादल राय उर्फ छोटू** को **धारा–376, 506 भा0द0वि0** एवं **3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** के तहत दण्डनीय अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त जमानत पर है। अभियुक्त के जमानतनामें एवं बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किये जाते हैं।

अभियुक्त द्वारा अन्तर्गत धारा–437ए द0प्र0सं0/481 BNSS के अनुपालन में मु0 **पच्चीस हजार रूपये** की धनराशि की **दो प्रतिभू** एवं समान धनराशि का **व्यक्तिगत बन्ध–पत्र** दाखिल किया जाय, जो निर्णय की तिथि से **06 माह** तक प्रभावी रहेगा।

दिनॉक–23.06.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)
सन्त कबीर नगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनॉक–23.06.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by KRISHNA KUMAR
Date: 2026.06.23 16:20:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court